

**विज्ञप्ति**

**कार्यालय : प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दर्जीकुआं, गोण्डा**

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2010 के संदर्भ में निर्गत शासनादेशों एवं उसके अनुक्रम में प्रकाशित विज्ञप्तियों के क्रम में एन0सी0टी0ई0 द्वारा बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु आवंटित सीटों के सापेक्ष प्रथम जांच सूची निर्गत की गयी थी। उक्त जांच सूची से भरे गये पदों के बाद अवशेष रिक्त पदों को भरे जाने के लिए द्वितीय जांच सूची निर्गत कर दी गई है। सम्बन्धित सूची एवं कट ऑफ मेरिट का विवरण जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है। अभ्यर्थी उक्त सूची तथा कट ऑफ मेरिट (Website-http:\gonda.nic.in) पर 'BTC Training 2010' पर क्लिक करके देख सकते हैं। सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/विशेष आरक्षण/शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र मूल रूप में तथा उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ के साथ निम्नवत् उल्लिखित तिथि को प्रातः 09.30 बजे संस्थान में उपस्थित हों।

**जांच सूची की कट ऑफ मेरिट का विवरण (जनपद-गोण्डा)**

श्रेणी	शिक्षामित्रों से भिन्न			
	महिला		पुरुष	
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान
अनु0जनजाति	160.95	-	-	-
<b>विशेष आरक्षण</b>				
	महिला		पुरुष	
स्व0सं0से0 आश्रित	182.64		-	
भूतपूर्व सैनिक	-		148.54	

**जांच सूची की कट ऑफ मेरिट का विवरण (जनपद-बलरामपुर)**

श्रेणी	शिक्षामित्रों से भिन्न				शिक्षा मित्र	
	महिला		पुरुष		महिला	पुरुष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
अनारक्षित	202.11	204.23	195.08	205.27	185.62	186.39
अनु0जाति	172.66	185.48	180.66	183.67	-	-
अनु0जनजाति	-	-	-	-	-	-
अ0पि0व0	192.30	-	187.74	-	178.65	-
विशेष आरक्षण	शिक्षामित्रों से भिन्न				शिक्षामित्र	
विकलांग	महिला		पुरुष		महिला	पुरुष
दृष्टि बाधित	-		182.35		-	-
श्रवणह्रास	153.78		-		-	-
चलनक्रिया	-		201.68		-	-

क्र0 सं0	वर्ग	अभिलेखों की जांच हेतु निर्धारित तिथि
1	समस्त अभ्यर्थी	दिनांक 04.08.2010
2	छूटे हुए अभ्यर्थी	दिनांक 05.08.2010

- यह द्वितीय जांच सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है। यह मात्र मूल अभिलेखों की जांच हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है तथा इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों का बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2010 में चयन हेतु स्वतः कोई दावा नहीं होगा।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त मानते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- उपरोक्त कट ऑफ मेरिट के अन्तर्गत आने वाले अर्ह अभ्यर्थियों में से यदि किसी का नाम सूची में नहीं है तो वह दिनांक 05.08.2010 तक रजिस्ट्री की रसीद की स्पष्ट छायाप्रति, आवेदन पत्र की छाया प्रति, स्नातक तक के समस्त अभिलेखों, आरक्षण आदि के अभिलेखों की छायाप्रति के साथ अपना प्रत्यावेदन डायट में प्रस्तुत कर सकते हैं।